

संक्षिप्त विचारण अन्तर्गत धारा 263, 264 दंड प्रक्रिया संहिता 1973
न्यायालय:- सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 327 / 22 अपराध किया जाने का दिनांक 28/09/22
रिपोर्ट या परिवाद का दिनांक 28/09/22
परिवादी का नाम व पता श्री. रमेश चंद्र कुरवाई, जिला विदिशा

अभियुक्त / गण का नाम, पत्रकता, और निवास
श्री. रमेश चंद्र कुरवाई 4/0 गुडेल सिट 40 साल
अनन्दा - कुरवाई

परिवादित अपराध का विवरण

1. आप आरोपी / गण ने दिनांक 28/09/22 समय 4:30 बजे स्थान श्री. रमेश चंद्र कुरवाई मोड 3 पत्त आरक्षी केन्द्र कुरवाई, जिला विदिशा में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से विक्रय हेतु 26 ब्राउड डेरी प्लेन शराब रखे हुये पाये गये। इसके द्वारा आपने धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जिला विदिशा

अभियुक्त / गण का अभिवाक् एवं परीक्षण:-

शराब स्वेच्छा स्वीकार है

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जिला विदिशा

अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 19/10/2022 को घोषित)

निष्कर्ष

01— अभियुक्त/गण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे/उन्हें धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त/गण को परिवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश

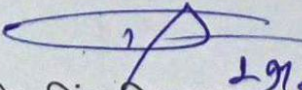
02— दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्धी पर न्यायालय अवसान तक की सजा एवं रुपये 1000/-/-रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त/गण को 15-15 दिवस का कठोर कारावास भुगंताया जावे।

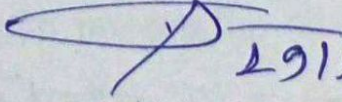
03— प्रकरण में जप्तशुदा '26 हजार 350 रुपये' 3

धारा 452(4) दंड प्रक्रिया संहिता में विहित सीमावधि पश्चात् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।


सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि० प्रविदिशा
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)


सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि० प्रविदिशा
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)